उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या H01932 सी–4 / एन0ओ0सी0–824 / 2017 दिनॉक– 11-5-17

सेवा में,

मे0 ओमेक्स लि0,
7, लोकल शॉपिंग सेन्टर, कालकाजी,
नई दिल्ली – 110 019

विषयः–प्रस्तावित परियोजना Omaxe Eternity Township (|Promoter-Omaxe Ltd.), ग्राम– सुनरख बांगर, छटीकरा रोड, वृन्दावन, मथुरा को पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25 / 26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–21 के अन्तर्गत परियोजना के विस्तारीकरण हेतु स्थपनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति आवेदन पत्र दिनांक 27.9.2016 के संदर्भ में बोर्ड के पत्र दिनांक 10.4.17 व पत्र दिनांक 03.5.17 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर विचारोपरान्त पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा की प्राप्त संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना विस्तारीकरण हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सशर्त स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) स्वीकृत की जाती है।

स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल	:	ओमेक्स एटरनिटी टाउनशिप (प्रमोटर– ओमेक्स लि0), ग्राम– सुनरख बांगर, छटीकरा रोड, वृन्दावन, मथुरा
(ख) उत्पादन	:	परियोजना का विस्तारीकरण
(ग) मुख्य कच्चा माल	:	बिल्डिंग मैटेरियल
(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	:	265.761 कि0ली0 / दिन
(ड) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा	:	शून्य
(ड़) प्रयुक्त ईधन	:	प्रस्तावित स्टैंडबाई जनरेटर सेट्स में गैस आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1. प्रस्तावित आवासीय परियोजना मैसर्स "Omaxe Eternity Township" (प्रमोटर–ओमेक्स लि0), ग्राम– सुनरख बांगर, वृन्दावन, मथुरा के विस्तारीकरण में कुल प्लाट एरिया 1,50,822.55 वर्गमीटर पर बिल्टअप एरिया 1,33,575.61 वर्गमीटर का निर्माण किया जायेगा। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा। मथुरा–वृन्दावन डेवलपमेंट ॲथारिटी के एस0टी0पी0 के शुद्धिकृत सीवेज का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जायेगा।
2. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार 265.761 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 525 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जायेगा। शुद्धिकृत सीवेज को फ्लशिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जाये तथा यदि अवशेष सीवेज को ॲथारिटी के सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है तो अथारिटी से अनुमति प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।
3. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिन्कलर की व्यवस्था की जायेगी एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जायेगी तथा उसके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक / सोकपिट की व्यवस्था की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन हेतु स्टैंडबाई विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर / गेस आपरेटेड जनरेटर सेट की स्थापना की जायेगी।
6. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम0एस0डब्लू0 रूल्स–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीग्रेट किया जाये जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को वर्मी कम्पोस्ट अथवा आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जायेगा।
8. टी0टी0जेड0 में डीजल आधारित जनरेटर सेट की स्थापना किया जाना अनुमन्य नही है। प्रस्तावित प्रत्येक 500 के0वी0ए0 क्षमता के 5 जनरेटर सेट्स सोलर / गैस आधारित स्थापित किये जायेंगे तथा मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित की जायेगी। डीजल का प्रयोग जनरेटर सेट में नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

10. परियोजना का निर्माण अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत मैप के अनुसार ही किया जायेगा।
11. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।
12. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
13. परियोजना स्थल पर अथॉरिटी के नियमानुसार हरित पट्टिका विकसित की जाये।
14. केन्द्रीय भूजल बोर्ड से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर बोर्ड में प्रस्तुत की जायेगी।
15. परियोजना स्थल टी0टी0जेड0 के अन्तर्गत है। विस्तारीकरण से पूर्व टी0टी0जेड0 अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा राज्य स्तरीय प्रभावी मूल्यांकन (SEIA) से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जायेगा।
16. Unit will put tarpaulinon scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
17. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
18. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
19. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
20. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
21. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
22. All medical held, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of constrction debris or construction material related to dust emission.
23. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
24. fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
25. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
26. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
27. Green belt will be developed around the buildings as per rules.
28. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.

उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन न किये जाने की दशा में उद्योग द्वारा बोर्ड में जमा की गयी बैंक गारन्टी संख्या 4196ILG002617 दिनांक 25.04.2017 रू0 10,00,000/– (दस लाख) मात्र पंजाब नेशनल बैंक, ए–9, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली –1 को बोर्ड द्वारा जब्त कर ली जायेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा बैंक गारण्टी जब्त करते हुए निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाए। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में एक माह तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0– तद्दिनॉक–

<u>प्रतिलिपि :–</u> क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को सूचनार्थ एवम् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डा0 अखलाक हुसैन)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–4